क्रम-संख्या—630(क)

रजि० नं० एल. डब्लू./एन. पी. 881

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०—41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 27 मार्च, 1989

चैत्र 6, 1911 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पंचायती राज अनुभाग—1

संख्या 603/33–1—33-88

लखनऊ, 27 मार्च, 1989

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प०आ०—530

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग, करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश पंचायत सेवक सेवा नियमावली, 1978 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1989

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली 1989 कही जायगी। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 1 के उप नियम (1) का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश पंचायत सेवक सेवा नियमावली, 1978 में जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, स्तम्भ-1 में दिया गया नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा :—

स्तम्भ—1 वर्तमान नियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
यह नियमावली "उत्तर प्रदेश पंचायत सेवक सेवा नियमावली 1978" कही जायेगी।	संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1—(1) यह नियमावली 10 नवम्बर, 1981 से उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी सेवा नियमावली, 1978 कही जायगी।

नियम 2 और 3 (छ) का संशोधन

3—उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 2 और 3 (छ) के स्थान पर नीचे स्तम्भ-2 में दिये गये नियम रख दिये जायेंगे :—

स्तम्भ—1 वर्तमान नियम		स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम	
सेवा की प्रास्थिति	2—उत्तर प्रदेश पंचायत सेवक सेवा अराजपत्रित सेवा है जिसमें समूह "घ" के पद सम्मिलित हैं।	सेवा की प्रास्थिति	2—उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी सेवा एक अराजपत्रित सेवा है जिसमें समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।
परिभाषाएं	3 (छ)—"सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पंचायत सेवक सेवा से है।	परिभाषाएं	3—(छ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी सेवा से है।

नियम-3 में खण्ड (ज) और (झ) का बढ़ाया जाना

4—उक्त नियमावली में नियम-3 में खण्ड (छ) के नीचे निम्नलिखित खण्ड (ज) और (झ) बढ़ा दिये जायेंगे अर्थात्:—

(ज) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संदर्भ में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो।

(झ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

नियम 4 के उप नियम 2 का संशोधन

5—उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिया गया नियम-4 के उप नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा:—

स्तम्भ—1 वर्तमान नियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
4—(2) सेवा की सदस्य संख्या जब तक कि उप नियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायं 8792 होगी; परन्तु—	4—(2) जब तक कि उप नियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायं सेवा की सदस्य संख्या 8806 होगी ; परन्तु—
(1) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकते हैं या राज्यपाल प्रास्थगित रख सकते हैं।	(1) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
(2) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।	(2) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

नियम 8 और 18 का संशोधन

6—उक्त नियमावली में नियम-8 और 18 में पदनाम "पंचायत सेवक" के स्थान पर "पदनाम" "ग्राम पंचायत अधिकारी" रख दिया जायगा।

7—उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 10 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:— नियम 10 का संशोधन

स्तम्भ—1 वर्तमान नियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
आयु 10— भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो, उस वर्ष की पहली जनवरी को यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जायं और पहली जुलाई को यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जायं, 18 वर्ष की हो जानी चाहिये और 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये : परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।	आयु 10—सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी है उस वर्ष की पहली जुलाई को 18 वर्ष की हो जानी चाहिये और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये : परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

टिप्पणी:—आयु के शिथिलीकरण के संबंध में शासनादेशों की प्रतियां परिशिष्ट–"ख" में दी गयी है।

8—उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम–15 के उपनियम (1) और (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये उप नियम (1) और (2) रख दिये जायेंगे :— नियम 15 का संशोधन

स्तम्भ—1 वर्तमान नियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
15—(1) चयन के लिये विचारार्थ आवेदन-पत्र विहित प्रपत्र में दिये जायेंगे । (2) सभी पदों के लिये अभ्यर्थियों का चयन राज्य के प्रत्येक जिले के मुख्यालय पर एक चयन समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित होंगे— (क) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (विकास)/ जिला विकास अधिकारी, (ख) जिला परिषद् का कोई अधिकारी या सदस्य, (ग) जिला पंचायत राज अधिकारी । टिप्पणी—समिति का अध्यक्ष अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (विकास)/ जिला विकास अधिकारी होगा। जिला पंचायत राज अधिकारी समिति का सचिव होगा।	15—(1)—चयन के लिये विचारार्थ आवेदन पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसके द्वारा विहित रीति से आमंत्रित किये जायेंगे । (2) भर्ती के प्रयोजन के लिये एक चयन समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित होंगे :— (एक) संभागीय उप निदेशक (पंचायत)–अध्यक्ष, (दो) सम्बद्ध जिला परिषद के अपर मुख्य अधिकारी—सदस्य, (तीन) जिला पंचायत राज अधिकारी—सदस्य/सचिव समस्त पदों के लिये अभ्यर्थियों का चयन राज्य के प्रत्येक जिले के मुख्यालय पर किया जायेगा ।

9—उक्त नियमावली में स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 21 के (उपनियम 2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा — नियम 21 (2) का संशोधन

स्तम्भ—1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
21-(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय सेवा में पद का वेतनमान 175–3–205–द0 रो0–4–225–द0रो0–5–250रु0 होगा परन्तु संवर्ग के 20 प्रतिशत पदों का वेतनमान 195–3–225–द0 रो0–4–245–द0 रो0–6–275 रु0 होगा।	वेतनमान 21—(2) इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय पर निम्नलिखित वेतनमान होंगे :— पद का नाम — वेतनमान ग्राम पंचायत अधिकारी — 330–7–365–8–380–द0 रो0–8–405–9–450–द0 रो0–9–495 रूपया।

पार्श्व शीर्षक और नियम 27 का बढ़ाया जाना

10—उक्त नियमावली में, नियम-24 और 26 के सामने क्रमशः "पक्ष समर्थन" और "अन्य विषयों का विनियमन" रख दिये जायेंगे और नियम-26 के नीचे निम्नलिखित नया नियम 27 बढ़ा दिया जायेगा ;

"व्यावृत्ति 27—इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिसका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।'

आज्ञा से,

डा0 इन्दु प्रकाश ऐरन,

सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 603/XXXIII-1-33-88 dated 27 March, 1989.

No. 603/XXXIII-1—33-88

Dated Lucknow, March 27, 1989

THE UTTAR PRADESH GRAM PANCHAYAT ADHIKARI SERVICE (FIRST AMENDMENT), RULES, 1989

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution the Governor is pleased to make the following rules to amend the Uttar Pradesh Panchayat Sewak Service Rules, 1978.

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Gram Panchayat Adhikari Service (First Amendment) Rules, 1989.

(2) They shall come into force at once.

Amendment of sub-rule (1) of rule 1

2. In the Uttar Pradesh Panchayat Sewak Service Rules, 1978, herein after referred to as the said rules, *for* the rule 1(1) as set out in Column 1 below, the rule as set out in Column 2 below shall be *substituted* :—

COLUMN 1 *Existing Rule*		COLUMN 2 *Rules as hereby substituted*	
Short title and commencement	1. (1) These rules may be called, "The Uttar Pradesh Panchayat Sewak Service Rules 1978".	*Short title and commencement*	1. (1) These rules may be called "The Uttar Pradesh Gram Panchayat Adhikari Rules, 1978, with effect from November 10, 1981.

Amendment of rule 2 and 3(*g*)

3. In the said rules, *for* rules 2, and 3 (*g*) as set-out in Column 1 below the rules as set-out in Column 2 below shall be *substituted* :

COLUMN 1 *Existing Rule 2*		COLUMN 2 *Rules as hereby substituted*	
Status of Service	2. The Uttar Pradesh Panchayat Sewak Service is a non-Gazetted Service comprising Group 'D' posts.	*Status of Service*	2. The Uttar Pradesh Gram Panchayat Adhikari Service is a non-Gazetted Service comprising Group 'C' posts.
Definitions	3. (*g*) "Service" means the Uttar Pradesh Panchayat Sewak Service.	*Definition*	3. (*g*) "Service" means the Uttar Pradesh 'Gram Panchayat Adhikari' Service.

Insertion of new clauses (h) and (i) in rule 3

4. In the said rules, in rule 3, the following clauses (*h*) and (*i*) shall be *inserted* below clause (*g*), namely :—

(*h*) "substantive appointment" means an appointment, not being an *ad hoc* appointment, on a post in the cadre of the Service, made after selection in accordance with the rules and, if there are no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being, by executive instructions issued by the Government.

(i) "year of recruitment" means the period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

5. In the said rules, *for* sub-rule (2) of rule 4 as set-out in Column 1 below, the sub-rule as set out in Column 2 shall be *substituted*:— Amendment of sub rule 2 of rule 4

COLUMN 1 *Existing Rules*	COLUMN 2 *Rules as hereby substituted*
4. (2) The strength of the service shall until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be 8792.	4. (2) The strength of the service shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be 8806.
Provided the—	Provided that—
(1) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post.	(1) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post without thereby entitling any person to compensation ;
(2) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.	(2) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

6. In the said rules, in rules 8 and 18 *for* the designation Panchayat Sevak, the designation Gram Panchayat Adhikari shall be *substituted* Amendment of rule 8 and 18

7. In the said rules, *for* rule 10 as set out in column 1 below the rule as set out in Column 2 shall be *substituted* : Amendment of rule 10

COLUMN 1 *Existing Rules*	COLUMN 2 *Rules as hereby substituted*
10. A candidate for recruitment must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of more than 27 years on January of the year in which recruitment is to be made, if the posts are advertised during the period January 1 to June 30 and on July 1, if the posts are advertised during the period July 1 to December 31 : *Age*	10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of more than 30 years on July 1 of the year in which recruitment is to be made : *Age*
Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.	Provided that the upper age-limit in the case of candidates belonging to the Scheduled castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

NOTE- Copies of the Government Orders regarding relaxation in age are given in Appendix B

8. In the said rules, *for* sub-rules (1) and (2) of rule 15, as set-out in Column 1 below, the sub-rule (1) and (2) as set-out in Column 2 shall be *substitute* Amendment of rule 15

COLUMN 1 *Existing Rules*	COLUMN 2 *Rules as hereby substituted*
Procedure for Direct Recruitment 15. (1) Applications for being considered for selection shall be given in the prescribed form.	*Procedure for Direct Recruitment* 15. (1) Applications for being considered for selection shall be called by the appointing authority in the manner prescribed by him.

COLUMN 1 *Existing Rules*	COLUMN 2 *Rules as hereby substituted*
(2) The selection of candidates for all the posts shall be made at the Headquarters of each district of the State by the Selection Committee consisting of the following :	2. For the purpose of recruitment, there shall be constituted a Selection Committee comprising ;
(i) The Additional District Magistrate (D)/ District Development Officer.	(i) Divisional Deputy Director (Panchayat) —Chairman
(ii) An officer of the member of the Zila Parisad.	(ii) Apar Mukhya Adhikari of the concerned Zila Parishad —Member
(iii) District Panchayat Raj Officer.	(iii) District Panchayat Raj Officer —Member/Secretary.
	The selection of candidates for all the posts shall be made at the Headquarters of each districts of the State.

NOTE—The Chairman of the Committee shall be A. D. M. (D)/D.D.O. the District Panchayat Raj Officer will be the Secretary of the Committee.

Amendment of rule 21 (2)

9. In the said rules, *for* sub-rule (2) of rule 21 as set out in Column 1 below the rule as set out in Column 2 shall be *substituted*:

COLUMN 1 *Existing rule*	COLUMN 2 *Rules as hereby substituted*
Scale of pay 21. (2) The scales of pay of the post in service at the time of the commencemet of these rules, will be Rs. 175-3-205 E. B. 4—225—E. B.—250, provided that the 20 per cent of the post of the cadre shall be in the scale of Rs. 195—3—225— E.B.—4—245—E. B. 6—275.	21. (2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules, are given as follows :

Name of Post	Scale of pay
Gram Panchayat Adhikari.	Rs. 330—7—365—8—380—E. B.—8—405—9—450—E.B.—9—495.

Insertion of marginal headings and rule 27

10. In the said rules, marginal headings "Convassing" and "Regulation of other matters" shall be inserted against rules 24 and 25 respectively, and the following new rule 27 shall be *inserted* below rule 26 ;

Saving

"27. Nothing in these rules shall effect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By order,
DR. I. P. ARON,
Sachiv.

पो० एस० यू० पो०—ए० पो० 1 सा०—(पंचायती राज)—(30)—1989—1,000 (मेक०)।